अपील क्रमांक 215/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /04/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 215/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री राजकुमार बजरंग, म.न.–ए/11, गैलेक्सी रेसीडेन्सी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) पिन–~~490011~~ 492001	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29.04.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री राजकुमार बजरंग द्वारा दिनांक 04.04.2025 को प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी, आज दिनांक 29.04.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी उपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्वयं (श्री राजकुमार बजरंग, सहायक अभियंता वि./यां.) के गोपनीय प्रतिवेदन अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.07.2018 तक के सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 21.01.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं अवर सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था, जो शासन की ओर से इस कार्यालय के जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 04.02.2025 को प्राप्त हुआ। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई जानकारी न देकर अन्य भ्रामक जानकारी दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.04.2025 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 04.04.2025 को ही प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दि. 29.04.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित कर, सुनवाई में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 29.04.2025 को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर आवेदन में वांछित जानकारी के संबंध में स्वयं के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति मांगे जाने के कारण दिलाये जाने संबंधी तथ्य प्रस्तुत किये। साथ ही यह भी उल्लेखित किया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई जानकारी न देकर अन्य भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण उन्होंने प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.01.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं अवर सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था, जो शासन की ओर से इस कार्यालय के जनसूचना प्रकोष्ठ में आवक क्रमांक 216 दिनांक 04.02.2025 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष की ओर दिनांक 04.02.2025 को प्रस्तुत की गई। स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में विलंब से दिनांक 18.03.2025 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी 02 पृष्ठ में उपलब्ध है। अंकित टीप अनुसार आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/44/छ.ग./2025/2579, दिनांक 20.03.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदान नहीं की गयी है? जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रेषित पत्र दिनांक 20.03.2025 में यह लेख करना त्रुटिपूर्ण है कि जानकारी प्रदान की जा रही है। वास्तविकता यह है कि प्रेषित पत्र के साथ संलग्न स्थापना शाखा से प्राप्त 2 पृष्ठों की जानकारी के अनुसार आवेदक द्वारा वांछित अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन, अपलीर्थी/आवेदक की पदोन्नति प्रस्ताव के साथ शासन को प्रेषित किये गये हैं। अतः जनसूचना अधिकारी को स्थापना शाखा से प्राप्त टीप एवं सहपत्रों के तारतम्य में, आवेदक द्वारा वांछित जानकारी से संबंधित वास्तविक स्थिति से आवेदक को अवगत कराते हुये पत्र प्रेषित किया जाना चाहिये था।

6. अपील के न्यायसंगत निराकरण की दृष्टि से, आवेदक द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में स्थापना शाखा के श्री रमेश देवांगन सहायक वर्ग 2 से समक्ष में चर्चा करने पर, उन्होंने बताया कि गोपनीय प्रतिवेदन, आवेदक की पदोन्नति प्रस्ताव के साथ शासन को भेजा गया है। अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करने पर स्पष्ट है कि आवेदक ने सूचना का अधिकार के तहत मूल आवेदन जनसूचना अधिकारी छ.ग. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय को ही प्रस्तुत किया था, जिसे शासन द्वारा अधिनियम की धारा 6(3)(ii) के तहत इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में स्थापना शाखा प्रभारी को पुनः दस्तावेजों का परीक्षण कर एवं मंत्रालय में भी संबंधित स्थापना शाखा में सपर्क कर, आवेदक द्वारा वांछित गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :–

1. **अपीलार्थी के आवेदन में वांछित "स्वयं (श्री राजकुमार बजरंग, सहायक अभियंता वि./यां.) के गोपनीय प्रतिवेदन अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.07.2018 तक के सत्यापित प्रति" से संबंधित जानकारी हेतु स्थापना शाखा प्रभारी पुनः दस्तावेजों का परीक्षण कर एवं मंत्रालय में भी संबंधित स्थापना शाखा में सपर्क कर, आवेदक द्वारा वांछित गोपनीय प्रतिवेदन जनसूचना अधिकारी के माध्यम से 15 दिनों में निःशुल्क उपलब्ध करावें।**

......3

2. जनसूचना अधिकारी, भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समयसीमा में न्यासंगत निराकरण किया जाना सुनिश्चत करें।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं. / 215 / बो.प्र. / नि.स. / 2025 / 4027 **नवा रायपुर, दिनांक** 05 / ~~4~~ 05 / **2025**

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री राजकुमार बजरंग, म.न.–ए / 11, गैलेक्सी रेसीडेन्सी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) पिन– ~~490011~~ 492001 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

29/4/25

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)